क्रम-संख्या–211

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025

पौष 9, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 2917 / वि0स0 / संसदीय / 80(सं)-2025

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1956 का निरसन

2– उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1956) को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में, दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 को दिए गए अपने विनिश्चय में राज्य की विधायी हैसियत से परे और अधिकारातीत घोषित किया गया है।

इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 के विनिश्चय के पश्चात, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 अब अस्तित्व में नहीं है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम का निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

लक्ष्मी नारायण चौधरी
मंत्री,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 276/XC-S-1–25-28S-2025
Dated Lucknow, December 30, 2025

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Ganna Upkar (Nirasan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 22, 2025.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE CESS (REPEAL) BILL, 2025

A

BILL

to repeal the Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane Cess (Repeal) Act, 2025.

Repeal of U.P. Act no. 22 of 1956

2. The Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956(U.P. Act no. 22 of 1956) has been declared ultra vires and beyond the legislative capacity of the State by the Honorable Supreme Court, New Delhi in its decision given on December 13, 1960 in Diamond Sugar Mills Limited and Others *vs*. State of Uttar Pradesh and Others.

Thus, after the decision of the Honorable Supreme Court dated December 13, 1960, the Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 is no longer in existence.

In view of the above, it has been decided to repeal the aforesaid Act.

Pradesh Sugarcane Cess The Uttar(Repeal) Bill, 2025is introduced accordingly.

LAKSHMI NARAYAN CHAUDHARY
Mantri,
Chini Udhyog Evam Ganna Vikas .

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 303 राजपत्र—2026—(943)—599+25+5=629 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

303 RPH (Ganna Upkar) (Sansadiya) 2026 Data 4e